न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहुजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या :– 044/2018

1. अशोक कुमार पुत्र श्री शिंगारा सिंह जाति खत्रीसिख निवासी 2 एल.एल. धालेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।

– – वादी

–:: बनाम ::–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर

– – प्रतिवादी

–:: बनाम ::–

दावा अन्तर्गत धारा 88, 91, आर.टी.ए. घोषणा एवम् 136 एल.आर. बाबत दुरूस्ती

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री संजय जनवेजा अधिवक्ता — वादी
2. पैरोकार राज — प्रतिवादी

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 25.05.2018

वादी ने प्रतिवादी के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, आर.टी.ए. एवम् 136 एल.आर. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वाके चक 1 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 84/63 (मुताबिक जमाबन्दी सम्बत् 2066–2069) का मुरब्बा नम्बर 34 की कुल 6.287 हैक्टर नहरी कृषि भूमि में से 3.769 हैक्टर कृषि भूमि मे से 1/3 हिस्सा कृषि भूमि वादी के नाम से दर्ज कागजात माल है। उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम अशोक सिंह अंकित हो गया है। नकल जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है।

वादी का सही व पूरा नाम अशोक कुमार है तथा वादी के वोटर पहचान पत्र, आधार कार्ड, चालन लाईसेन्स, पैन कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पास बुक व अन्य समस्त दस्तावेजों में सही नाम अशोक कुमार अंकित है। नकल पहचान पत्र, आधार कार्ड, चालन लाईसेन्स, राशन कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पास बुक व अन्य जमीन की जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है।

सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा भी यह प्रमाण–पत्र (तस्दीक) जारी की गई है कि वादी का सही नाम अशोक कुमार है। सरपंच द्वारा जारी तस्दीक संलग्न वाद पत्र है।

वादी द्वारा अपनी उक्त भूमि पर पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक से के.सी.सी. ऋण लिया हुआ है तथा बैंक द्वारा वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन किए जाने सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर वादी को दिया है, जो कि संलग्न वाद पत्र है।

उक्त नाम अशोक सिंह वादी अशोक कुमार का ही दूसरा नाम है जो घर पर पुकारा जाता है, जबकि सही नाम अशोक कुमार है, वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को कई बार राजस्व रिकार्ड में वादी का सही नाम दर्ज करने के लिए आवेदन/निवेदन किए हैं, मगर उन्होंने वादी का नाम सही नाम दर्ज करने से इन्कार कर दिया है, इस कारण यह वाद पेश करना आवश्यक हो गया है तथा यही वाद कारण है।

लगातार 2

उक्त आराजी अदालतवाला के अधिकार क्षेत्र में होने के कारण वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार के अन्तर्गत आता है तथा उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी का नाम अशोक कुमार घोषित किया जावे तथा वादी की कृषि भूमि वाके चक 1 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 84/63 (मुताबिक जमाबन्दी सम्बत् 2066–2069) का मुरब्बा नम्बर 34 की कुल 6.287 हैक्टर नहरी कृषि भूमि में से 3.769 हैक्टर कृषि भूमि मे से वादी के 1/3 हिस्सा की भूमि में वादी का नाम अशोक सिंह के स्थान पर अशोक कुमार घोषित कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी की और से तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा जबाब पेश किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया गया कि वादी का नाम दुरूस्त संलग्न दस्तावेजो के आधार पर किया जाता है जो कोई एतराज नहीं है।

चुँकि प्रकरण में कोई प्रतिवाद नहीं होनें के कारण तनकियात नहीं बनाई गई, वादी के सुयोग्य अधिवक्ता की बहस को सुना गया, वादी के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद पत्र के समर्थन में वाद पत्र के साथ ही साक्ष्य स्वरूप अपना तथा संरपंच ग्राम पंचायत 4 एल.एल. द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति पेश कर वादी को अनुतोष प्रदान किया जानें हेतु निवेदन किया गया।

बहस पर मनन किया पैरोकार राज को सूना गया तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वाद वादी पोषणीय पाये जानें पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया गया।

–:: आदेश ::–

अतः वाद दर्ज स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के सपठित राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत चक 1 (एक) एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 84/63 में वादी का नाम अशोकसिंह के स्थान पर अशोक कुमार दर्ज करनें का आदेश दिया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) तथा हिस्सा करस्सी पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 25.05.2018 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के अन्तर्गत आयोजित शिविर ग्राम पंचायत जोधेवाला के मजमे आम में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर